



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक-08.12.2025

थाना दोघट पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम में 07 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से तस्करी में प्रयुक्त दो गाडी कैन्टर नं० UP-17AT-8208 व PB-31Z-5966 जिनमें क्रूरता पूर्वक भरे हुए कुल 32 पशु बरामद ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं पशु तस्करी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 07 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से तस्करी में प्रयुक्त दो गाडी कैन्टर नं० UP-17AT-8208 व PB-



31Z-5966 जिनमें क्रूरता पूर्वक भरे हुए कुल 32 पशु बरामद हुए हैं ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

- 1-अब्दुल रहमान पुत्र अब्दुल मालिक निवासी ग्राम रामपुर मनिहारन थाना रामपुर जनपद सहारनपुर ।
- 2-सरताज पुत्र जरीफ निवासी ग्राम तावली थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर ।
- 3-साहिल पुत्र यूनस निवासी गंगेरु थाना कान्धला जनपद शामली ।
- 4-शहजाद पुत्र कय्यूम निवासी शिकारपुर थाना भौरा कलां जनपद मुजफ्फरनगर ।
- 5-इमरान पुत्र यूसुफ निवासी ग्राम बलवा थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ।
- 6-शाहिद पुत्र शकील निवासी कस्बा व थाना झीझाना जनपद शामली ।
- 7-वकील पुत्र सफीक निवासी कस्बा व थाना झीझाना जनपद शामली ।

बरामदगी का विवरण:-

- तस्करी में प्रयुक्त दो गाडी कैन्टर नं० UP-17AT-8208 व PB-31Z-5966 जिनमें क्रूरता पूर्वक भरे हुए कुल 32 पशु ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ०नि० श्री दिव्य कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-है०का० 871 रविन्द्र कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 3-एचजी 413 सेन्सरपाल थाना दोघट जनपद बागपत ।





प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर दिनांक- 08.12.2025

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध छुरी बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध छुरी बरामद हुई है। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

सनुज पुत्र सतपाल निवासी ग्राम चिरचिटा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध छुरी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 दलजीत सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 2-है0का0 552 मुकेश कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 3-का0 1124 अजीत कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बड़ौत

दिनांक 08.12.2025

थाना बड़ौत पुलिस ने लाइजोल एवं हार्पिक कम्पनी के नकली उत्पादों की बिक्री करने वाले 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से Harpic लाल 500 ml के 22 बोतल, Harpic 1 लीटर के 24 बोतल, Lizol लाल 500 ml के 06 बोतल, Lizol पीला 500 ml के 17 बोतल Harpic 200 ml के 50 बोतल व Harpic 500 ml के 17 बोतल नकली उत्पाद बरामद ।

संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही-

दिनांक 08.12.2025 को बड़ौत पर लाइजोल व हार्पिक कम्पनी टीम द्वारा सूचना दी गयी कि करम्बा बड़ौत में लाइजोल व हार्पिक कम्पनी के नकली उत्पाद बेचे जा रहे हैं। इस सूचना पर थाना बड़ौत पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तथा 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से Harpic लाल 500 ml के 22 बोतल, Harpic 1 लीटर के 24 बोतल, Lizol लाल 500 ml के 06 बोतल, Lizol पीला 500 ml के 17 बोतल Harpic 200 ml के 50 बोतल व Harpic 500 ml के 17 बोतल नकली उत्पाद बरामद हुए हैं। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 787/2025 धारा 63/65 कॉपीराइट एक्ट पंजीकृत किया गया।



गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता:-

1. अनुज पुत्र जयचंद निवासी कोताना रोड कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत।
2. सचिन पुत्र ब्रह्मपाल निवासी आवास- विकास कॉलोनी कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- Harpic लाल 500 ml के 22 बोतल,
- Harpic 1 लीटर के 24 बोतल,
- Lizol लाल 500 ml के 06 बोतल
- Lizol पीला 500 ml के 17 बोतल
- Harpic 200 ml के 50 बोतल
- Harpic 500 ml के 17 बोतल नकली

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री हिमाँशू सागर थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-का0 463 पवन नागर थाना बडौत जनपद बागपत।
- 3-का0421 अंकुल थाना बडौत जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनांक 08.12.2025

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 308/2025 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में
वांछित 25 हजार रुपये के इनामी 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही:-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक
बागपत के निर्देशन में
बागपत पुलिस द्वारा
जनपद में अपराधों की
रोकथाम एवं वांछित/इनामी
अभियुक्तों की गिरफ्तारी
हेतु चलाये जा रहे अभियान
के अन्तर्गत थाना रमाला
पुलिस द्वारा थाने के
मु0अ0सं0 308/2025



धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में

वांछित 25 हजार रुपये के इनामी 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं
अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट-श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी पर 25
हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मोईन पुत्र मौजूदीन निवासी नई बस्ती बरखण्डी रोड सरवरपीर मौहल्ला
पंसारियान थाना शामली जनपद शामली।

अभियुक्त का गिरफ्तारी दिनांक समय व स्थान- उपरोक्त अभियुक्त को थाना रमाला पुलिस द्वारा दिनांक 08.12.2025 समय 18.15 बजे असारा अंडरपास थाना रमाला क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त मोर्डन का आपराधिक इतिहास –

- 1-मु0अ0सं0 08/20 धारा 323, 498-A, 506 भादवि व 3/4 दहेज अधि0 महिला थाना शामली जनपद शामली ।
- 2-मु0अ0सं0 122/2025 धारा 304 बीएनएस थाना रमाला बागपत ।
- 3-मु0अ0सं0 129/25 धारा 109(पु0मु0) बीएनएसएस व 3/25/27 आयुद्ध अधि0 थाना रमाला जनपद बागपत
- 4-मु0अ0सं0 308/25 धारा 2/3 गैंगस्टर अधि0 थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –



- 1-प्रभारी निरीक्षक जितेन्द्र कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री प्रियांशु देशवाल थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3-उ0नि0 श्री कृपेन्द्र सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 4-है0का0 819 दोसेन्द्र थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 5-का0 478 अजीत कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत दिनांक 08.12.2025

बागपत पुलिस ने 09 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस ने 09 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-सुभाष पुत्र ताराचन्द निवासी ग्राम बाछौड थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 2-जुम्मा पुत्र गिरवर निवासी ग्राम शबगा थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 3- विवेक पुत्र ब्रजपाल निवासी ग्राम बिजवाडा थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 4- अनिल कुमार पुत्र पन्नालाल निवासी ग्राम खेडा डटाना थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 5- सन्दीप पुत्र रमेश निवासी पट्टी चौधरान कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 6-शौकीन पुत्र अलीहसन निवासी कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 7-सलेकचंद पुत्र बाबूराम निवासी कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 8- कादिर पुत्र जरीफ निवासी ग्राम टाण्डा थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 9- इन्तजार पुत्र उस्मान निवासी बन्तीखेडा थाना बाबरी जनपद शामली ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- थाना बड़ौत पुलिस टीम । (04 वारंटी)
- 2- थाना छपरौली पुलिस टीम । (02 वारंटी)
- 3- थाना बिनौली पुलिस टीम । (01 वारंटी)
- 4- महिला थाना पुलिस टीम । (01 वारंटी)
- 5- थाना सिंघावली अहीर पुलिस टीम । (01 वारंटी)

